



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक अपील संख्या – 449/2011

जगन्नाथ उर्फ जगत एवं एक अन्य

...अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रत्यर्थी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: - गोपेश त्रिपाठी, मो नईम, पुत्तू लाल मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 14

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुत्तू लाल मिश्रा और राज्य हेतु विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-1 श्री मोहम्मद आसिफ खान को सुना।
2. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2026 के अनुपालन में, अपीलार्थियों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए गए थे। कार्यालय की आख्या के अनुसार अपीलार्थी संख्या 1- जगन्नाथ की लगभग 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है और अपीलार्थी संख्या 2- राम लाल को पुलिस द्वारा जमानती वारंट के अनुपालन में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
3. अपीलार्थी संख्या 1 की अपील उपशमित की जाती है। न्यायालय मात्र अपीलार्थी संख्या 2 के संबंध में अपील का परीक्षण करने हेतु कार्यवाही कर रहा है।
4. प्रस्तुत अपील, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. न्यायालय संख्या 10, प्रतापगढ़ द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 286 वर्ष 1997, जो थाना- सांगीपुर, जनपद- प्रतापगढ़ में पंजीकृत अपराध संख्या 163ए वर्ष 2002,

धारा 325 भारतीय दंड संहिता से उद्धृत है, में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.02.2011 को चुनौती देते हुए योजित की गई है।

5. अभियोजन वाद के अनुसार, अपीलार्थी संख्या 2- रामलाल ने दिनांक 27.07.1995 को प्रातः लगभग 06:00 बजे लाठी, लात और घूसों से सूचनाकर्ता के साथ मारपीट की थी। प्रारंभ में, धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अपराधों के लिए असंज्ञेय वाद संख्या 83/1995 दर्ज किया गया था, किंतु विवेचना के दौरान धारा 325 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। तीन व्यक्तियों- जगन्नाथ उर्फ जगत, रामलाल और साधु के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे। विचारण के दौरान साधु की मृत्यु हो गई थी और उसके विरुद्ध विचारण उपशमित कर दिया गया था।

6. अभियोजन साक्षी-1 मकू देवी के बयान के अनुसार, विवाद उस समय हुआ जब वह मेदुई का पौधा और कुछ झाड़ियाँ काट रही थी। उसने यह भी कहा कि इस घटना में अभियुक्तों को भी चोटें आई थीं। अभियोजन साक्षी-2 मदार ने कहा कि तीनों अभियुक्त उसे लाठियों से पीट रहे थे और उसने सह-अभियुक्त साधु की लाठी छीनकर सह-अभियुक्त जगत पर प्रहार किया था।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-1 ने सूचित किया है कि मुकदमा अपराध संख्या 162/2002, प्रतीपवाद, से उद्धृत विचारण अभियुक्त की मृत्यु के कारण उपशमित हो चुका है।

8. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 323 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता और धारा 325 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया है तथा अपीलार्थी को धारा 324/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास और धारा 325/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दो वर्ष के साधारण कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्तों को एक माह की अतिरिक्त अवधि के कारावास का आदेश दिया गया था।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि के समय अपीलार्थी संख्या 2 की आयु 70 वर्ष थी और वर्तमान में वह 85 वर्ष का है। अपीलार्थी को पुलिस अधिकारियों, अर्थात् उप-निरीक्षक आदित्य पांडेय और कांस्टेबल संदीप यादव द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी स्वयं चलने में असमर्थ है और उसे न्यायालय में उपस्थिति हेतु पुलिस कर्मियों की शारीरिक सहायता की आवश्यकता है।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यह पहला वाद था जिसमें उसे दोषसिद्ध एवं दंडित किया गया है।
11. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, मेरा यह मत है कि अपीलार्थी की अत्यधिक आयु को देखते हुए उसे अभिरक्षा में रखना व्यवहार्य नहीं है। इससे सुधार या निवारण का कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। प्रथम बार दोषसिद्ध होने के कारण, और वह भी धारा 324/34 भारतीय दंड संहिता. एवं 325/34 भारतीय दंड संहिता. जैसे अपराधों के लिए जिनमें कोई नैतिक अधमता सम्मिलित नहीं है, तथा अधिकतम दो वर्ष की साधारण कारावास की सजा प्राप्त होने के कारण, अपीलार्थी 'अपराधी परीक्षा अधिनियम, 1958' की धारा 4 के लाभ का पात्र है।
12. अतः, अपीलार्थी संख्या 2 की दोषसिद्धि और दंडादेश को बरकरार रखते हुए अपील का निस्तारण किया जाता है, किंतु यह प्रावधान किया जाता है कि विचारण न्यायालय ने स्वयं अपीलार्थियों को अपराधी परीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ प्रदान किया था। चूंकि उसकी दोषसिद्धि के बाद से 15 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है और आक्षेपित आदेश दिनांक 15.02.2011 द्वारा दोषसिद्धि के बाद से अपीलार्थी द्वारा किसी अन्य कदाचार या कुकृत्य किए जाने का कोई आरोप नहीं है, अतः धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त तीन वर्ष की अधिकतम अवधि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। तदनुसार, अपीलार्थी संख्या 2 को आगे किसी भी अवधि के लिए परीक्षा के अधीन रखने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उसे मुक्त किया जाता है। अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधपत्र और प्रतिभू उन्मोचित किये जाते हैं।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

24 मार्च, 2026

अमित के